उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-561/2025/515 के-2 /22-3-25-17(930)/2021
लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सैदुनिशा उर्फ चीना (बन्दी संख्या-41/19) पत्नी श्री फकरे आलम, निवासी विजडार, थाना-चकिया, जनपद-चन्दौली, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-185/2015 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-01, चन्दौली के दण्डादेश दिनांक 18.01.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, की दिनांक 04.06.2023 तक आयु लगभग 74 वर्ष होने, संतोषजनक जेल आचरण, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त महिला बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर महिला बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
2- **निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।**
3- **पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।**
4- **जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली।**
5- **पुलिस अधीक्षक, चन्दौली।**
6- **वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़।**
7- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।**
8- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in